HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2398/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.3099/2025

Mukhtar Ahmad Son Of Ismail Shah, Aged About 38 Years, Resident Of Chandkhedi Road Khanpur, Fakir Mohalla, Police Station Khanpur, District Jhalawar (Raj.) (At Present Accused Appellant Confined In District Jail Jhalawar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dushyant Singh Naruka
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh Mr. Sunil Khanna

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

21/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **मुख्तार अहमद** की ओर से विचारण न्यायालय– **अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड़** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**223/2023, सरकार बनाम मुख्तार अहमद** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **10.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 15.02.2022 से 24.02.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तथा वर्तमान में वह लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

जबकि परिवादी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पक्षकारान के योग्य अधिवक्तागण द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना जाहिर किया। अतः प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने, प्रकरण के तथ्यों–समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **21.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मुख्तार अहमद पुत्र श्री इस्माईल शाह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /39